

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 73/2018

**प्रार्थी-**

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

**बनाम**

**अप्रार्थी-**

राकेश कुमार बोहरा पुत्र पारस बोहरा  
जाति जैन निवासी कल्याणपुरा, मार्ग  
नंबर 5, बाड़मेर जिला बाड़मेर  
(मैसर्स भैरव ट्रेडर्स, कृषि उपज मण्डी  
बाड़मेर का मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 58 खाद्य  
सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

**आदेश**

दिनांक : 23.02.2021


1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 58 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स भैरव ट्रेडर्स, कृषि उपज मण्डी बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 03.08.2017 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (खुला)** जो कि एक कट्टे में भरा पाया गया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 02 कि०ग्रा० **धनिया पाउडर (खुला)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-806 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (खुला)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 17.08.2017 में उक्त खाद्य पदार्थ **धनिया पाउडर (खुला)** का खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय पर निषेध एवं प्रतिबंध) विनियम 2011 संख्या 2.3.14(15) का उल्लंघन बताया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से अभियोजन अधिकारी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 17.08.2017 में उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय पर निषेध एवं प्रतिबंध) विनियम 2011 के विनियम संख्या 2.3.14(15) का उल्लंघन का पाया गया है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को धारा 46 की उपधारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामीली अनुपस्थित रहा है तथा कार्यवाही के प्रत्येक प्रक्रम में नोटिस तामील के बावजूद किसी प्रकार का जवाब प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया जाना उसकी मौन स्वीकारोक्ति प्रतीत होती है। लिहाजा अप्रार्थी के द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप किसी अतिरिक्त साक्ष्य के विवेचन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 25000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 23.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(ओमप्रकाश बिश्नोई)  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर